

बिहार विधान सभा सचिवालय

विज्ञापन संख्या-04/2018

पद-चालक

अंतिम परीक्षाफल

बिहार विधान सभा सचिवालय में विज्ञापन संख्या-04/2018 के अन्तर्गत चालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार आयोजित किया गया था जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर 198 अभ्यर्थियों को व्यवहारिक जाँच परीक्षा के लिए चयनित किया गया था। व्यवहारिक जाँच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके साक्षात्कार के मेधा के अनुसार आरक्षण कोटिवार निम्न रूप से सफल घोषित किया जाता है।

Sl No.	Roll Number	Candidate's Name	Father's Name	DOB	Gender
कोटि-अनारक्षित					
1	11100797	ROUSHAN KUMAR	SURESH SINGH	24-Oct-1979	MALE
2	11100962	VIVEK KUMAR SINGH	UPENDRA SINGH	30-Mar-1998	MALE
3	11201321	SHANKAR KAMAT	LATE PULKIT KAMAT	15-Jan-1985	MALE
4	20450533	PRASHANT KUMAR RAJAK	BHOLA RAJAK	01-Jan-1987	MALE
5	14115880	SATYA NARAIN GAUTAM RAJA	RAMESH RAM	12-Feb-1994	MALE
6	19141124	MD TAUQUEER	MD MAQBOOL	28-Jul-1994	MALE
कोटि-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग					
7	13313829	GAURAV GUPTA	SHRI PRAKASH GUPTA	02-Aug-1996	MALE
कोटि-अनुसूचित जाति					
8	18135914	SUNIL KUMAR	SHITAL RAM	02-May-1986	MALE
9	15222276	INDRADEV KUMAR	BAGESHWAR PASWAN	03-Jan-1987	MALE

नोट:- शैतिज आरक्षण के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित चार पद तथा पिछड़े वर्ग की महिला कोटि के लिए आरक्षित एक पद पर व्यवहारिक जाँच परीक्षा में किसी भी महिला अभ्यर्थी के सफल नहीं होने की स्थिति के कारण अंतिम रूप से इन पाँचों पदों पर किसी का चयन नहीं हुआ है।

सभी सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन सभा सचिवालय के मुख्य भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में दिनांक 09.09.2019 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में होगा। सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।

अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निम्नलिखित कागजात के साथ उपस्थित होंगे :-

- ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
 - प्रवेश पत्र (Admit Card)।
 - ड्राइविंग लाइसेंस (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
 - दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
 - मैट्रिक/समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।
 - आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए-
 - अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र।
 - स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र।
 - अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)
 - जाति प्रमाण पत्र,
 - स्थायी निवास प्रमाण पत्र,
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र,
- ऑनलाईन आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक मिलान किया जायेगा।
 - जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर सभा सचिवालय निर्णय ले सकता है।


 सचिव 05/09/19
 बिहार विधान सभा।